तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
16-2-2021	वकील प्राथी उप० । वास्ते बहस पत्रावली दि० 23-2-2021 को पेश हो ।	
23-2-21	पत्रावली पेश हुई । पत्रावली मे प्राथीया नत्थीदेवी गवाह छोटूराम, जगदीश के बयान करवाये गये । वास्ते बहस पत्रा - दि० 2/3/21 को पेश हो ।	
2-3-2021	पत्रावली पेश हुई । वकील प्राथी उप० । प्रा०पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । उप जिला गंगापुर सिटी	

निज प्रार्थी
नि० हस्ता०
जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] नहन्या जाति माली निवासी [illegible] पोस्ट
[illegible]पुर तहसील गंगापुर सिटी

—प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :— श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर में आराजी हाल खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.32 हैक्टर स्थित है। जिसका इन्द्राज लैण्ड रिकॉर्ड रेवन्यु जमाबंदी में लच्छी पुत्री किशनलाल पत्नी नहन्या माली दर्ज है जो गलत है। प्रार्थिया का सही नाम लच्छी ना होकर नत्थो देवी है। सहवन से कागजात सरकार लैण्ड रिकॉर्ड रेवन्यू में भूलवश लच्छी दर्ज हो गया जबकि नत्थो देवी दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थिया के पति नहन्या माली का भी इंतकाल हो चुका है। प्रार्थिया का नाम भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में भी नत्थो देवी पत्नी नहन्या माली दर्ज है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड में भी नत्थो देवी दर्ज है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थिया का नाम नत्थो देवी दर्ज है। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राजस्थान जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त जॉब कार्ड में भी प्रार्थिया का नाम नत्थो दर्ज है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि प्रार्थिया का सही नाम नत्थो देवी हैं रेवन्यु रिकॉर्ड में गलती से लच्छी दर्ज हो गया, उसको दुरूस्त किया जाकर उसकी जगह नत्थो देवी पुत्री किशनलाल पत्नी नहन्या जाति माली दर्ज किया जावें। मात्र लच्छी की जगह नत्थो देवी करना है और किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कागजात सरकार लैण्ड रिकॉर्ड रेवन्यू में लच्छी पुत्री किशनलाल पत्नी नहन्या जाति माली की जगह नत्थो देवी पुत्री किशनलाल पत्नी नहन्या जाति माली की दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर [illegible] तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] ने [illegible] किया है [illegible] तथ्यों को [illegible] का है। [illegible] प्रार्थिया तथ्यों को स्वयं सिद्ध [illegible]

[illegible] पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2073–76 [illegible] 350 ग्राम खानपुर बडौदा फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी [illegible] कार्ड, फोटोकॉपी राशनकार्ड, फोटोकॉपी जॉब कार्ड प्रस्तुत किये है [illegible] नत्थोदेवी, गवाह छोटया पुत्र सुगन्या माली निवासी गुर्जर बडौदा, [illegible] पुत्र रामफूल माली निवासी गंगाजी की कोठी के बयान कराये [illegible]

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थिया एवं अप्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थिया के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए [illegible] का नाम राजस्व अभिलेख मे लच्छी के स्थान पर नत्थोदेवी करने का [illegible] किया है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर [illegible] जाहिर की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी [illegible] कार्ड, फोटोकॉपी राशनकार्ड, फोटोकॉपी जॉब कार्ड मे प्रार्थिया का नाम नत्थोदेवी दर्ज है। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत किये गये दो स्वतंत्र गवाहो ने भी प्रार्थिया का नाम नत्थोदेवी होना बताया है। इन सब के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 350 ग्राम खानपुर बडौदा में दर्ज प्रविष्टि "लच्छी पुत्री किशनलाल पति नहन्या" के स्थान पर प्रविष्टि "नत्थोदेवी पुत्री किशनलाल पति नहन्या " दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.3.2021 [illegible] न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)